# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 3565/2024**

जितेन्द्र कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, सेठ जय नारायन एवं श्रीमती बंसती देवी अग्रवाल मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अचरोल, ब्लॉक अम्बेर, जयपुर।
5. विनायक जोशी, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, सेठ जय नारायन एवं श्रीमती बंसती देवी अग्रवाल मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अचरोल, ब्लॉक आमेर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 5.12.2024
**आदेश की दिनांक** : 19.12.2024

**अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता**

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित दिनांक 20.11.2024 के आरोपित आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके द्वारा अपीलार्थी को यह कहते हुए अधिशेष घोषित किया गया था कि अपीलार्थी को उसी स्कूल में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 यानी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की नियुक्ति के कारण अधिशेष बनाया गया था, जबकि नियमों के अनुसार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद अस्तित्व में नहीं है क्योंकि ऐसा पद केवल अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए है और कंप्यूटर शिक्षक का पद एमजीजीएस स्कूल के लिए मौजूद है। अपीलार्थी को साक्षात्कार के माध्यम से चुना गया था और वह एक प्रशिक्षित शिक्षक है और निजी प्रत्यर्थी एमजीजीएस स्कूल के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है क्योंकि उसे साक्षात्कार प्रक्रिया के बिना चुना गया था। अपीलार्थी का नाम उपरोक्त आदेश दिनांक 20.11.2024 में क्रम संख्या 8 पर रखा गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थी ने बिना किसी आधार के अधिशेष घोषित किया यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ही अपीलार्थी को दिनांक 20.11.2024 के आदेश के तहत अवैध रूप से अधिशेष घोषित किया गया था। (अनुलग्नक–1) उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) को विवादित आदेश जारी किया जिसके द्वारा

प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को अपीलार्थी की तरह अधिशेष घोषित करके उनकी पोस्टिंग के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है, जो कि नियमित कर्मचारी है क्योंकि अपीलार्थी का चयन वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान स्थान पर हुआ था और वह अधिशेष कर्मचारी नहीं है क्योंकि वह एक नियमित कर्मचारी है। दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) के आदेश के अनुसार जूनियर उम्मीदवारों को अधिशेष बनाया जा रहा है जबकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए अधिशेष घोषित किया गया। अपीलार्थी को शुरू में अध्यापक ग्रेड III लेवल 1 के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हीरावाला, जमवारामगढ़, जयपुर में नियुक्त किया गया था। उसके बाद प्रत्यर्थी विभाग ने साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए और अपीलार्थी ने भी साक्षात्कार में भाग लिया और अपीलकर्ता को सेठ जय नारायण एवं श्रीमती बसंती देवी अग्रवाल मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अचरोल, ब्लॉक आमेर, जिला जयपुर के लिए वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षक के रूप में चुना गया और जिसके अनुसार उसने 10.09.2022 के आदेश के अनुसार कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और तब से वह पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी संख्या 5 भी उसी स्कूल में बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षक के रूप में दिनांक 13.04.2023 के आदेश के तहत सेठ जय नारायण एवं श्रीमती बसंती देवी अग्रवाल मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अचरोल, ब्लॉक आमेर, जिला जयपुर में कार्यरत है और उनका चयन एमजीजीएस की प्रक्रिया का पालन किए बिना और साथ ही दिशा–निर्देशों का पालन किए बिना किया गया क्योंकि एमजीजीएस के लिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का कोई पद नहीं है क्योंकि एमजीजीएस स्कूल के लिए केवल कंप्यूटर शिक्षक के पद स्वीकृत हैं। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी का चयन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया उत्तीर्ण करने के बाद उचित माध्यम से हुआ था और महात्मा गांधी विद्यालय के लिए प्रशिक्षित शिक्षक होने के बावजूद उसका चयन किया गया, इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अवैध रूप से अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने बिना योग्यता के ही विवादित आदेश पारित कर दिया जिसके द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया गया जबकि अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक है क्योंकि उसका चयन उचित माध्यम से हुआ था और इसलिए विवादित आदेश प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित किया गया जो ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 20.11.2024 (अनुलग्नक 1) और दिनांक 14.11.2024

(अनुलग्नक 2) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को सेठ जय नारायण एवं श्रीमती बसंती देवी अग्रवाल मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अचरोल, ब्लॉक आमेर, जिला जयपुर में कम्प्यूटर शिक्षक के पद पर नियमित वेतन और अन्य परिणामी लाभों के साथ निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**